<u>र्थे 1 े आपराधिक प्रकरण कमांक 394 / 2013</u>

न्यायालय- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

<u>प्रकरण क्रमांक 394 / 2013</u> <u>संस्थापित दिनांक 04 / 07 / 2013</u> <u>फाईलिंग नम्बर 23030303008682013</u> म ग

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र— गोहद चौराहा,जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

- रघुवीर पुत्र हरीराम कुशवाह उम्र 27 साल व्यवसाय मजदूरी निवासी ग्राम विलाव पुलिस थाना उमरी,जिला भिण्ड हॉल रघुवीर बघेल का मकान मातादीन पुरा पुलिस थाना देहात भिण्ड म0प्र0
- 2. छोटे उर्फ घुटलली उर्फ मातादीन पुत्र धनीराम जाटव उम्र—30 साल व्यवसाय मजदूरी निवासी— ग्राम सुखवासी का पुरा थाना उमरी,जिला भिण्ड म0प्र0
- 3. मनोज पुत्र जगन्नाथ जाटवफरार

...... अभियुक्तगण

(अपराध अंतर्गत धारा—457,380भा0द0स0) (राज्य द्वारा एडीपीओ—श्री प्रवीण सिकरवार।) (आरोपी रघुवीर द्वारा अधिवक्ता—श्री ए०के0समाधिया।) (आरोपी छोटू उर्फ मातादीन द्वारा अधिवक्ता—श्री ए०के0पचौरी।)

::- नि र्ण य -::

(आज दिनांक 12/1/2017 को घोषित किया)

आरोपीगण पर दिनांक 20—21/01/13 की रात्रि करीब 1:00बजे ग्राम खनेता में फरियादी कुलवीर सिंह के हार में बने कमरे में सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रि प्रछन्न गृह अतिचार कारित करने एवं उसी समय फरियादी कुलवीरसिंह के कमरे से उसके आधिपत्य से एक मोटर पम्प स्टाटर, तार करीब 300 फुट कुल कीमत लगभग

21,000 / —रूपये उसकी सहमित के बिना बेईमानीपूर्ण आशय से ले जाकर चोरी कारित करने हेतु भादस की धारा 457 एवं 380 के अंतर्गत आरोप हैं।

- 2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि फरियादी कुलवीर सिंह ग्राम बूटी कुईया का रहने वाला हैं करीब आधा कि0मी0 की दूरी पर उसका हार है जिसमें टयूवबैल लगा है वहां पर उसकी पानी की मोटर एक स्ट्रांटर एक केवल तार करीब 200 फुट जो कि सरदूल सिंह का है उसके टयूबवैल पर बने कमरे के अंदर रखे थे कमरे में ताला पड़ा था दिनांक 20—21 की रात्रि में कोई अज्ञात चोर कमरे का ताला और कुन्दी तोडकर अंदर घुसकर उक्त सामान को चुराकर ले गया था रास्ते में करीब डेढ बजे वह खेत में पानी देखने गया था तो उसने देखा था कि कमरे का ताला टूटा पड़ा था उसमें रखा सामान कीमत लगभग 21,000 /—रूपये गायब था । घटना करीब 1:00बजे की है उसे गांव के भीमा जाटव पर संदेह है क्योंकि भीमा जाटव रात्रि 11:00बजे उसे रोड पर घूमता हुआ दिखा था। फरियादी की रिर्पोट पर पुलिस थाना गोहद चौराहा में अप०क019 / 13 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे। आरोपीगण को गिरफतार किया गया था एवं विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
- 3. उक्त अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपीगण को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक अंकित किया गया।
- 4. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उन्हें प्रकरण में झूटा फंसाया गया है।
- 5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुये है :--
- 1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 20—21/01/13 की रात्रि करीब 1:00बजे ग्राम खनेता में फरियादी कुलवीर सिंह के हार में बने कमरे से फरियादी कुलवीर सिंह के आधिपत्य से एक मोटर पम्प स्टीटर एवं तार की चोरी की?
- 2. क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी कुलवीर सिंह के हार में बने कमरे में सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रो प्रछन्न गृह अतिचार कारित किया ?
- 6. उक्त विचारणीय प्रश्नो के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी कुलवीर सिंह आ0सा01,सरदूल सिंह आ0सा02,आरक्षक मनोज शुक्ला आ0सा03,चन्द्रभान आ0सा04 ए0एस0आई सुभाष पांडे आ0सा05,आरक्षक उमेश शर्मा आ0सा06 एवं प्र0आर0 ब्रजराज आ0सा07 को परीक्षित कराया गया है जबिक आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न कमांक 1 एवं 2

07. साक्ष्य की पृनरावृत्ति को रोकने के लिये उक्त दोनो विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

<u> 3 🌺 आपराधिक प्रकरण कमांक 394/2013</u>

- 08. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में फरियादी कुलवीरसिंह आ0सा01 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया गयाहैिक घटना दिनांक 21-10-13 की रात्रि लगभग 12:00बजे की है। आरोपीगण ने चक खनेते में उसके ट्यूबबैल पर मकान का ताला तोड़ा था एवं उसके अंदर ट्यूबबैल मोटर स्ट्रिटर केवल था। आरोपीगण ने उक्त सामान की चोरी कर ली थी वह रात को गेंहू में पानी देने गया था तब उसने देखा था कि दो लोग भाग गये थे उसने मौके पर रघुवीर को पकड लिया था जब वह लोग चिल्लाये थे तो सरदूल सिंह मौके पर आ गया था उसने घटना की रिपीट थाना गोहद चौराहा पर की थी जो प्र0पी01 है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। नक्शा मौका प्र0पी02 है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। नक्शा मौका प्र0पी02 है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने रघुवीर से एक मोटर व स्ट्रिटर जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी03 बनाया था जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। मेमोरेंडम प्र0पी04 के एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण के पद क03 में उक्त साक्षी का कहना हैिक रिपीट उसने थाने पर लिखाई थी उसने रिपीट में आरोपीगण के नाम नहीं बताये थे रिपीट उसने बोलकर लिखाई थी रिपीट पुलिस ने बाद में पढ़कर सुनाई थी। उसने प्र0पी01 की रिपीट मे चोरी करने वालों के नाम लिखा दिये थे जो चोर पकड़ा गया था उसने अपने दूसरे साथियों के नाम बताये थे। पद क04 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया हैिक आरोपी मातादीन को न तो उसने देखा था न ही वह उसे जानता है।
- 09. साक्षी सरदूल सिंह आ0सा02 ने भी अपने कथन में व्यक्त किया हैकि घटना वाले दिन कुलवीर सिंहजोर से चिल्लाया था तो वह अपने खेत से भागकर कुलवीर सिंह के खेत में पहुंचा था कुलवीर सिंह एक आदमी को पकडे हुये था मौके पर कई लोग आ गये थे फिर रात को खबर की थी तो पुलिस आकर उसे ले गई थी पुलिस ने सुबह आरोपी से एच0पी0 की मोटर,स्टीटर और केवल बरामद किया था मौके पर पुलिस को चोर की डायरी पडी हुई मिली थी। जप्ती पंचनामा प्र0पी03 मेमोरेंडम प्र0पी04 के कमशः बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
- 10. जप्तीकर्ता ए०एस०आई सुभाष पांडे आ०सा०५ ने अपने कथन में यह बताया है कि उसने दिनांक 21/01/13 को फरियादी कुलवीर सिंह की सूचना पर प्र०पी०1 की प्रथम सूचना रिर्पोट लेखबद्ध की थी जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। विवेचना के दौरान उसने आरोपी रघुवीर से पूंछताछ कर प्र०पी०4 का मेमोरेंडम बनाया था जिसके डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं उसने आरोपी रघुवीर से पानी की मोटर एवं स्टीटर जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र०पी०५ बनाया था जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। आरोपी रघुवीर को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्र०पी०६ बनाया था जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।
- 11. आरक्षक मनोज शुक्ला आ०सा०३ ने भी अपने कथन में दिनांक 22/1/13 को सुभाष पांडे एवं सैनिक चन्द्रभान के साथ ग्राम बूटी कुईया जाने एवं ग्राम बूटी कुईया में हार के पास कूल के बगल से आरोपी रघुवीर से पानी की मोटर व स्टीटर जप्त करना बताया है। उक्त साक्षी ने जप्ती पंचनामा प्र०पी०५ के एसेए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना भी स्वीकार किया है।
- 12. साक्षी चन्द्रभान आ०सा०४ ने भी अपने कथन में व्यक्त किया हैकि दिनांक 22/1/13 को ए०एस०आई सुभाष पांडे ने आरोपी से बूटी कुईया के कूल के पास झाडी में एक स्टीटर एक मोटर जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी०5 बनाया था जिस पर उसके हस्ताक्षर है।

- 13. आरक्षक उमेश शर्मा आ०सा०६ ने अपने कथन में व्यक्त कियाहै कि दिनांक 18/12/13 को ए०एस०आई ए०एस०तोमर ने न्यायालय परिसर में आरोपी छोटे उर्फ छुटलली को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्र0पी०७७ बनाया था एवं आरोपी छोटे उर्फ छुटली से पूछताछ कर धारा २७ साक्ष्य विधान का मेमोरेंडम प्र0पी०८ बनाया था जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।
- 14. प्र0आ0ब्रजराज आ0सा07 ने भी अपने कथन में व्यक्त किया हैकि उसने दिनांक 18/11/13 को न्यायालय परिसर में आरोपी छोटे उर्फ छुटलली उर्फ मातादीन जाटव को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी07 बनाया था जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है उसने आरोपी से पूंछताछ कर मेमोरेंडम प्र0पी08 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।
- 15. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभाषी रहे है। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित नहीं हैं।
- प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी कुलवीर सिंह आ०सा०१ ने अपने कथन में यह बताया है कि 16. वह आरोपी रघुवीर को जानता है छोटे को नहीं जानता है घटना दिनांक को आरोपीगण ने चक खनेते में उसके टयूवबैल पर मकान का ताला तोडा था तथा उसके अंदर रखी टयूवबैल की मोटर र्स्टाटर एवं केवल की सामान की चोरी की थी वह रात को गेंहू में पानी देने गया था तब उसने देखा था कि दो लोग भाग गये थे रघुवीर को मौके पर पकड लिया था उसके चिल्लाने पर सरदूल सिंह भी मौके पर आ गया था। सरदूल सिंह आ०सा०२ ने भी अपने कथन में यह बताया हैकि घटना वाली रात्रि करीब 12:00बजे कुलवीर सिंह के चिल्लाने परवह कुलवीर सिंह के खेत पर पहुंचा था तो कुलवीरसिंह एक आदमी पकड़े हुये था वह आदमी बचाव बचाव चिल्ला रहा था। मौके पर कई लोग आगये थे और उसे घ ोर लिया था रात में खबर की थी तोपुलिस उसे ले गई थी पुलिस ने सुबह आरोपी से माल बरामद किया था। इस प्रकार फरियादी कुलवीर सिंह आ०सा०१ एवं सरदूल सिंह आ०सा०२ ने न्यायालय के समक्ष अपने कथनों मे यह बताया है कि उन्होनें आरोपी रघ्वीर को मीके पर ही पकड लिया था सरदूल सिंह आ0सा02 द्वारा यह भीबताया गया हैकि घटना दिनांक को रात में ही पुलिस आकर रघ्वीर को ले गई थी परन्तु उक्त तथ्य का उललेख प्र0पी01 की प्रथम सूचना रिर्पोट में नहीं हैं। फरियादी कुलवीर सिंह द्वारा प्र0पी01 की प्रथम सूचना रिपीट अज्ञात में लिखाई गई है एवं उक्त रिपीट में वर्णित अनुसार फरियादी भीमा जाटव पर चोरी का संदेह जताया हैं। फरियादी कुलवीर सिंह आ०सा०१ ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया हैकि उसने मौके पर चोरी करते समय रघुवीर को पकड लिया था एवं दो लोग मौके से भाग गये थे परन्तु यह बात उसके द्वारा प्र0पी01 की प्रथम सूचना रिर्पोट में नहीं बताई गई है। इस प्रकार उक्त बिन्दू पर फरियादी कुलवीर सिंह आ०सा०१ के कथन प्र०पी०१ की प्रथम सूचना रिपीट से पृष्ट नहीं रहे है। फरियादी कुलवीर सिंह आ0सा01 ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क03 में यह बताया है कि उसने रिर्पोट करते समय आरोपीगण के नाम नहीं बताये थे तथा रिर्पोट पुलिस ने उसे पढकर सुनाई थी तथा यह भी व्यक्त किया हैकि उसने अपनी रिर्पोट में भीमा जाटव का नाम लिखाया था। यदि वास्तव में फरियादी कुलवीर सिंह ने आरोपी रघुवीर को मौके पर पकड लिया था तो उसके द्वारा आरोपी रघुवीर का नाम प्र0पी01 की प्रथम सूचना रिर्पोट में क्यों नहीं लिखाया गया इसका कोई स्पष्टीकरण फरियादी कुलवीर द्वारा नहीं दिया गया है। यदि उसने मौके पर आरोपी रघुवीर को पकड लिया था तो उसने अपनी

रिर्पोट में भीमा जाटव का नाम क्यों लिखाया था उक्त संबंध में भी कोई स्पष्टीकरण फरियादी द्वारा नहीं दिया गया है। फरियादी कुलवीर आ०सा०1 के कथन उक्त बिन्दु पर प्र०पी०1 की प्रथम सूचना रिर्पोट से विरोधाभाषी रहे है उक्त तथ्य अत्यन्त तात्विक है जो संपूर्ण अभियोजन घटना को ही संदेहास्पद बना देता है।

- 17. साक्षी सरदूल सिंह आ०सा०२ ने भी अपने कथन में यह बताया है कि रात में ही पुलिस आकर आरोपी को ले गई थी जबिक गिरफतारी पंचनामा प्र०पी०६ में आरोपी रघुवीर को दिनांक 22/1/13 को 13:30 बजे थाना गोहद चौराहा से गिरफतार किये जाने का उल्लेख है। इस प्रकार उक्त बिन्दू पर साक्षी सरदूल सिंह आ०सा०२ के कथन प्र०पी०६ के गिरफतारी पंचनामें से पृष्ट नहीं रहे है।
- 18. फरियादी कुलवीर सिंह आ०सा०१ एवं सरदूल सिंह आ०सा०२ के कथनों से यह दर्शित हैिक उक्त साक्षीगण द्वारा मौके पर ही आरोपी रघुवीर को पकड लेना बताया गया है एवं सरदूल सिंह आ०सा०२ द्वारा यह भी व्यक्त किया गया हैिक घटना वाले दिन रात में ही पुलिस आरोपी रघुवीर को ले गईथी परन्तु उक्त तथ्यों का उल्लेख प्र०पी०१ की प्रथम सूचना रिर्पोट में नहीं है प्र०पी०१ की प्रथम सूचना रिर्पोट से यह दर्शित नहीं होता है कि आरोपी रघवीर कोमौके पर ही पकड लिया गया था। अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपी रघुवीर को दिनांक 22/1/13 को थाना गोहद चोराहा से गिरफतार किया गया था इस प्रकार फरियादी कुलवीर सिंह आ०सा०१ एवं सरदूल सिंह आ०सा०२ के कथन प्र०पी०१ की प्रथम सूचना रिर्पोट एवं प्र०पी०६ के गिरफतारी पंचनामें से पुष्ट नहीं रहे है ऐसी स्थित में फरियादी कुलवीर सिंह आ०सा०१ एवं सरदूल सिंह आ०सा०१ के कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।
- 19. जहां तक ए०एस०आई सुभाष पांडे आ०सा०५ के कथन का प्रश्न है तो ए०एस०आई सुभाष पांडे आ०सा०५ ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसने आरोपी रघुवीर से पूछताछ कर प्र०पी०४ का मेमोरेंडम बनाया था तथा यह भी व्यक्त किया हैकि उसने आरोपी रघुवीर से पानी की मोटर एवं स्टीटर जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र०पी०५ बनाया था। आरक्षक मनोज शुक्ला आ०सा०३ एवं चन्द्रभान आ०सा०४ जो कि जप्ती पंचनामा प्र०पी०५ के साक्षी है ने भी जप्तीकर्ता ए०एस०आई सुभाष पांडे आ०सा०५ के कथन का समर्थन किया है एवं आरोपी से स्टीटर और मोटर जप्त होने बाबत प्रकटीकरण किया है।
- 20. इस प्रकार ए०एस०आई सुभाष पांडे आ०सा०५ के कथन एवं गिरफतारी पंचनामा प्र०पी०६ मेमोरेडम प्र०पी०4 तथा जप्ती पंचनामा प्र०पी०5 के अवलोकन से यह दर्शित हैकि उक्त दस्तावेजों के अनुसार आरोपी रघुवीर को दिनांक 22/1/13 को गिरफतार किया गया था तथा आरोपी रघुवीर से दिनांक 22/1/13 को 13:15 बजे चोरी के संबंध में पूंछताछ की गई थी एवं आरोपी रघुवीर के बताये अनुसार जप्ती पंचनामा प्र०पी०५ के अनुसार आरोपी रघुवीर से पानी की मोटर एवं स्टाटर जप्त की गई थी ए०एस०आई सुभाष पांडे आ०सा०५ ने अपने कथन में आरोपी रघुवीर को दिनांक 22/1/13 को गिरफतार करना बताया है जबकि फरियादी कुलवीर सिंह आ०सा०१ एवं सरदूल सिंह आ०सा०२ का कहना है कि उन्होने घटना दिनांक अर्थात 20–21/1/13 की रात्रि में ही आरोपी रघुवीर को मौके पर पकड लिया था एवं उसी समय पुलिस को दे दिया था। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर फरियादी कुलवीर आ०सा०१ एवं सरदूल सिंह आ०सा०२ के कथन ए०एस०आई सुभाष पांडे आ०सा०5 के कथन से विरोधाभाषी रहे हैं।
 - फरियादी कुलवीर सिंह आ०सा०1 द्वारा यह बताया गया है कि उसने आरोपी रघुवीर को

21.

चक खनेते में उसके टयूवबैल पर घटना के वक्त ही पकड लिया था एवं जप्ती पंचनामा प्र0पी05 के अनुसार आरोपी से बूटी कुईया के हार कूल के पास पानी खीचने की मोटर और र्स्टाटर जप्त किये जाने का उल्लेख है। यदि फरियादी कुलवीर सिंह आ0सा01 एंव सरदूल सिंह आ0सा02 ने आरोपी रघुवीर को मौके पर ही पकड लिया था तब फिर उसके द्वारा उक्त मोटर एवं र्स्टाटर को किस प्रकार ग्राम बूटी कुईया के हार कूल के पास छिपाया गया उक्त संबंध में कोई स्पष्टीकरण फरियादी कुलवीर आ0सा01 एवं सरदूल आ0सा02 द्वारा नहीं दिया गया है। उक्त तथ्य अत्यन्त तात्विक है जो कि संपूर्ण अभियोजन कार्यवाही के प्रति संदेह उत्पन्न कर देता हैं।

- 22. जहां तक आरोपी छोटे उर्फ छुटटली उर्फ मातादीन का प्रश्न है तो वहां यह उल्लेखनीय है कि आरोपी छोटे उर्फ छुटटली से प्रकरण में कोई जप्ती नहीं हुई है। आरक्षक उमेश शर्मा आ0सा06 एवं प्र0आर0 ब्रजराज सिंह आ0सा07 ने आरोपी छोटे उर्फ छुटटली उर्फ मातादीन को न्यायालय परिसर में गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्र0पी07 बनाया जाना एवं न्यायालय परिसर में ही आरोपी से पूंछताछ कर मेमोरेंडम प्र0पी08 तैयार करना बताया है परन्तु प्र0पी08 के मेमोरेंडम के अनुशरण में कोई जप्ती नहीं हुई है ऐसी स्थिति में प्र0पी08 के मेमोरेंडम का कोई औचित्य नहीं हैं। प्र0पी08 के मेमोरेंडम में आरोपी छुटटली ने पानी की मोटर और स्टांटर रघुवीर कुशवाह के पास होना बताया है उक्त मेमोरेंडम दिनांक 18/12/13 को लिया गया है जबिक अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपी रघुवीर से दिनांक 22/1/13 को पानी की मोटर ओर स्टांटर जप्त की जा चुकी थी क्योंकि प्र0पी08 के मेमोरेंडम के अनुशरण में कोई जप्ती नहीं हुई है ऐसी स्थिति में प्र0पी08 के मेमोरेंडम का कोई औचित्य नहीं है। प्रकरण में आरोपी छोटे उर्फ छुटटली उर्फ मातादीन से कोई सम्पत्ति जप्त नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में आरोपी छोटे उर्फ छुटटली को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।
- 23. जहां तक आरोपी रघुवीर काप्रश्न है तो आरोपी रघुवीर के संबंध मे फरियादी कुलवीर सिंहआ०सा01,सरदूल सिंह आ०सा02,आरक्षक मनोज शुक्ला आ०सा03,चन्द्रभान आ०सा04 एवं ए०एस०आई सुभाषपांडे आ०सा05 के कथन तात्विक बिन्दुओं पर अत्यन्त विरोधाभाषी रहे है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में शिनाख्ती कार्यवाही भी नहीं कराई गई है। ऐसी स्थिति में यह भी संदेहास्पद हो जाता है कि जो मोटर एवं स्ट्रांटर अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपी रघुवीर से जप्त करना बताये गये है वह फरियादी कुलवीर सिंह से है। उपरोक्त सभी तथ्य अभियोजन कहानी को संदेहास्पद बना देते है।
- 24. उपरोक्त चरणो में की गई समग्र विवेचना से यह दर्शित हेकि प्रकरण में चोरी की रिर्पोट अज्ञात में की गइ है । प्रकरण में फिरयादी कुलवीर सिंह आ0सा01,सरदूल सिंह आ0सा02,मनोज शुक्लाआ0सा03,चन्द्रभान आ0सा04,ए0एस0आई सुभाष पांडे आ0सा05 के कथन परस्पर तात्विक बिन्दुओं पर विरोधाभाषी रहे है। फिरयादी कुलवीर सिंह आ0सा01 के कथन तात्विक बिन्दुओं पर प्र0पी01 की प्रथम सूचना रिर्पोट से भी विरोधाभाषी रहे है। जप्ती की कार्यवाही भी संदेहास्पद है शिनाख्ती कार्यवाही भी नहीं कराई गई है। प्रकरण में आरोपी छोटे उर्फ छुटटली उर्फ मातादीन सेकोई जप्ती नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है एवं आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।
- 25. संदेह कितना ही प्रबल क्यों न हो वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता है। अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। यदि अभियोजन अपना मामला संदेह से परे

प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपीगण की दोषमुक्ति उचित है।

26. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 20-21/1/13 की रात्रि करीबन 1:00बजे ग्राम खनेता मे फरियादी कुलवीर सिंह के हार में बने कमरे में सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रो प्रछन्न गृह अतिचार कारित किया एवं उसी समय फरियादी कुलवीर सिंह के कमरे से उसके आधिपत्य से एक मोटर पम्प,स्टाटर,तार कुल कीमत 21,000/-रूपये उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्ण आशय से ले जाकर चोरी कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी रघुवीर सिंह एवं आरोपी छोटे उर्फ छुटटली उर्फ मातादीन को संदेह का लाभ देते हुये उन्हें भादस की धारा 457 एवं 380 के आरोप से दोषमुक्त करती हैं।

27. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर हैं उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

28. यह उल्लेखनीय हैिक प्रकरण में आरोपी मनोज फरार है। अतः प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति एवं प्रकरण का मूल अभिलेख सुरक्षित रखा जावे।

स्थान - गोहद

दिनांक - 12-1-2017

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित

कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिकं मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०)

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०)

THIN Parella BUITH